Entrepreneurs Conference held in Singapore in June, 1996; and

(b) whether it is a fact that the share of investments by NRIs in India is much less compared to the share of investments in China by overseas Chinese?

THE MINISTER OF FINANCE (P. CHIDAMBARAM): (a) The Global Indian Enterpreneurs Conference generated tremendous enthusiasm among the participants and in particular the Non-resident Indian Entrepreneurs about India, its futhure, and its potential for being an extremely attractive investment desination. The keenness of NRIs to involve themselves with Indian by interlinking among themselves and with the industry and Government of India was highlighted by participants who emphasised the need for continuity and to impart thrust to the process of NRI involvement in the economic development of India. While the Conferenc provided an opportunity to Cingaporean business to establish contacts with participants representing Indian Industry, it would not be feasible to arrive at a precise estimate on possible investments.

(b) Yes Sir. The quantum of investments in China by Overseas Chinese is substantially higher compared to NRI ivnestments in India.

बैंको द्वारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण दिया जाना

2958. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों और कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को ऋण वितरित किए गए और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंको द्वारा शाखावार कितने ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त किये, मंजूर किये गए और कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए गए; और

(ग) क्या सरकार ऋण की राशि के शीघ्र भुगतान के लिए कोई सरल और ठोस नीति तैयार करने पर विचार करेगी; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Conducting para-medical courses

2959. SHRI JOY NALUKKARA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that many para-medical courses are being conducted by the institutions without having minimum requirements;

(b) if so, whether there are any rules regulating such institutions;

(c) whether Government are also aware that students are being cheated by such institutions; and

(d) if so, what steps Government propose to take against such institutions?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (d) At present there is no statutory body at Central level to regulate the standards of paramedical courses. The paramedical courses in the States are regulated by the concerned State authorities.

प्रसार भारती अधिनियम में सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए समिति

2960. **श्री राम जेठमलानी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती अधिनियम में व्यापक सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और क्या ऐसी समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सुझावों को मुर्त रूप देने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार उन पर कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती अधिनियम, 1990 से संबंधित सिफारिशें विवरण के रूप में संलग्न हैं *(नीचे देखिए)*

(ग) से (ङ) विभिन्न राजनीतिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों की एसोसिएशनों से परामर्श करने के बाद इन सिफारिशों पर आगे कार्यवाही की जाएगी। तथापि, इस समय कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

विवरण

विशेषज्ञ दल की प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 से संबंधित मुख्य सिफारिशें

- अधिनियम में यथा परिकल्पित प्रसार भारती को एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए;
- आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रसार भारती निगम के मुख्यालय के नियंत्रणाधीन दो अलग-अलग स्कंधों के रूप में बांटा जाना चाहिए और निगम द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्रों में दोनों के बीच समन्वय होना चाहिए;
- प्रसार भारती बोर्ड की पुनःसंरचना की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक के कार्यों को समावेशित करते हुए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, छः पूर्णकालिक सदस्यों, चार अंशकालिक सदस्यों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रबंध निदेशकों को सहयोजित किया जाना चाहिए;
- बोर्ड स्तर से नीचे प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए;
- बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जानी चाहिए जिसमें राज्यों की परिषद के अध्यक्ष, विपक्षी दल के नेता तथा प्रेस परिषद के अध्यक्ष को सम्मिलित किया जाना चाहिए;
- अध्यक्ष, सदस्यों के कार्यकाल और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं तैनाती से संबंधित कुछ सुझाव;
- धारा 13(1) में प्रावधित संसदीय समिति को समाप्त किया जारा चाहिए क्योंकि इसके कार्य की देखरेख संचार संबंधी स्थायी समिति, मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति और प्रस्तावित भारतीय रेडियो एवं टेलीविजन प्राधिकरण (उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार) द्वारा की जा सकती है;
- धारा 24 में क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके बारे में निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत की जाएगी;
- 5000 करोड़ रु० की प्राधिकृत शेयर पूंजी, 2000 करोड़ रु० की प्रदत्त पूंजी तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की परिसम्पत्तियों को पट्टे पर निगम को हस्तांतरित किया जाना चाहिए;
- प्रसार भारती के आत्मनिर्भर बनने तक सरकार द्वारा इसे विज्ञापन एवं वाणिज्यिक राजस्व से वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए;
- टेलीविजन सैटों के लिए वार्षिक या एकमुश्त प्रसारक रिसीवर लाइसेंस शुल्क पुनः आरंभ करना;
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण चैनलों के प्रचालन संबंधी लागत को सहायता-अनुदान, ईक्विटी या ऋण के माध्यम से सरकारी वित्तपोषण से पूरा किया जाना चाहिए।
- कुछ सुझाव व्यावसायिक विपणन संगठन के सृजन, उद्यमशील विपणन नीतियों और कुछ चैनलों को केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए रखे जाने से संबंधित हैं।

Issuing of Insurance Policies without written consent from respective parties

2961. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Life Insurance Corporation of India, North Central Zone, Kanpur through its direct agent branches has been issuing insurance policies on individual life of more than Rs. 20 lakhs without obtaining written consent from the respective parties;

(b) whether the LIC has not been responding to the complaints received from time to time on such issues;

(c) whether Government would direct LIC to settle such issues keeping in view the intention of the insured; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Life Insurance Corporation of India (LIC) have reported that proposals for insurance are considered only on receipt of the proposal papers duly signed by proponents in the prescribed from together with requisite reports and information. Complaints, if and when received, are looked into and duly